कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड
2 – सुभाष रोड़, सचिवालय परिसर, देहरादून – 248001
फोन न0 (0135) – 2712055, 2713551
फैक्स न0 (0135) – 2712014, 2713724

सख्याः 2514 /XXV–12(Part-6)/2008 देहरादून : दिनाक 27 अक्टूबर, 2017

सेवा में,

श्री जितेन्द्र कुमार,
पुत्र श्री झगडूराम
निवासी बाल्मिकी नगर रेलवे रोड
ऋंषिकेश जिला देहरादून।

विषयः– **सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत चाही गयी सूचना के संबंध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके सूचना के अधिकार अधिनियम से सम्बन्धित आवेदन पत्र दिनांक 23–09–2017 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से आपके द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत चाही गयी सूचना संलग्न कर प्रेषित की जा रही हैः–

1. बिन्दु संख्या–03 विधान सभा में विधायक चुनाव में दो सन्तानों के संबंध में किसी प्रकार का कोई प्राविधान नही है।
2. बिन्दु संख्या–04 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के सीटो के आरक्षण संबंधी बदलाव भारत निर्वाचन आयोग द्वारा किये जाते है।

यदि आप उपरोक्त उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं से सन्तुष्ट न हों तो विभागीय अपीलीय अधिकारी के सम्मुख निम्न पते पर अपील प्रस्तुत कर सकते हैः–

विभागीय अपीलीय अधिकारी एवं
सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड
04–सुभाष रोड़ सचिवालय परिसर, देहरादून।

कृपया प्राप्ति स्वीकार करने का कष्ट करें।

भवदीय,

B S Rawat
(बी0एस0रावत)
अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी

पृ0संख्या 2514 /XXV–12(Part-6)/2008, तददिनांक।

प्रतिलिपि लोक सूचना अधिकारी, कार्यालय राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड को आवेदन पत्र की प्रति इस आशय से प्रेषित कि आवेदक द्वारा चाही गयी वांछित सूचना बिन्दु सं0 01 एवं 02 आपके कार्यालय के संबंधित है, जिसे सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा 6 (3) के अन्तर्गत अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु हस्तान्तरित किया जा रहा है।

B S Rawat
(बी0एस0रावत)
अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी

karki

प्राप्त– 17/10/17

सेवा में,

श्रीमान मुख्य चुनाव अधिकारी,

जिला देहरादून उत्तराखण्ड।

महोदय,

प्रार्थी निम्न बिन्दुओ पर सूचना प्राप्त करना चाहता है:–

1. यह कि नगर पालिक अध्यक्ष एंव सभासद चुनाव हेतु कौन–कौन से नियम लागू होते है। (दो सन्तानो से अधिक सन्तान वाला व्यक्ति को चुनाव लडने का अधिकार है या नही)
2. यह कि ग्राम सभा में वार्ड ग्राम प्रधान/वार्ड मेम्बर हेतु कौन–कौन से नियम लागू होते है (दो सन्तानो से अधिक सन्तान वाला व्यक्ति को चुनाव लडने का अधिकार है या नही)
3. यह कि विधान सभा में विधायक चुनाव हेतु कौन–कौन से नियम लागू होते है (दो सन्तानो से अधिक सन्तान वाला व्यक्ति को चुनाव लडने का अधिकार है या नही)
4. यह उक्त चुनाव आयोग के द्वारा कब–कब सीटो मे बदलाव किया जाता है (आरक्षित, सामान्य, पिछडी, व महिला)

अतः महोदय से निवेदन है कि प्रार्थी को इन सभी सूचनाओ की जानकारी लिखित व जी.ओ. की सत्यापित फोटो प्रति के रूप में देने की कृपा करे।

श्री कार्की जी,
बिन्दु सं. 1 एंव 2 लोक सू. अ. राज्य निर्वाचन आयोग को हस्तान्तरित करें.
एंव बिन्दु 3 एंव 4 पर सूचना उपलब्ध करायें
17-10-17
P.I.O

प्रार्थी 13/10/17

(जितेन्द्र कुमार)

पुत्र स्व0 श्री झगडूराम

निवासी बाल्मिकी नगर रेलवे रोड

ऋषिकेश जिला देहरादून।

मो0– 9897820211